


मै0 उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन प्रभाग— रामनगर, नैनीताल द्वारा तराई पश्चिम वन प्रभाग, तहसील— रामनगर, जिला—नैनीताल में कोसी नदी से रेता, बजरी, बोल्डर के खनन/चुगान की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 29.05.2023 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन प्रभाग— रामनगर, नैनीताल द्वारा तराई पश्चिम वन प्रभाग, तहसील—रामनगर, जिला—नैनीताल द्वारा कोसी नदी से रेता, बजरी, बोल्डर(क्षेत्रफल 181.00 हैक्टेयर) पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना-2006 यथा संशोधित के अन्तर्गत आच्छादित है। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के क्रम में राज्य बोर्ड द्वारा जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान तथा हिन्दुस्तान टाइम्स के दि0 25.04.2023 के अंक में प्रकाशित करायी गयी थी। उपरोक्त के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से सम्बन्धित परियोजना प्रस्ताव द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से सम्बन्धित ई0आई0ए रिपोर्ट व सारांश की प्रतियां जनसामान्य/इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ, जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल, जिला पंचायत कार्यालय नैनीताल, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र नैनीताल, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रामनगर तथा क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून को प्राप्त करा दी गयी थी। तदक्रम में उप जिलाधिकारी, महोदय रामनगर की अध्यक्षता में दि0 29.05.2023 को प्रातः 11:00 बजे नगर पालिका ऑडिटोरियम, गैस गोदाम रोड, रामनगर जिला—नैनीताल में लोक सुनवाई का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। लोक सुनवाई में उपस्थित संलग्नानुसार है।

लोक सुनवाई में सर्वप्रथम हरीश चन्द्र जोशी, सहा0 वैज्ञा0 अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी, द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों तथा लोक सुनवाई के पैनल में नामित उप जिलाधिकारी रामनगर तथा अन्य उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया तथा परियोजना के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए अध्यक्ष महोदय से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी।

उप जिलाधिकारी, रामनगर की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तदक्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार संस्था ओशिओ—इन्वायरो मैनेजमेन्ट सॉल्यूशन (इण्डिया) प्रा0लि0के श्री हिमांशु गोयल द्वारा इकाई का विवरण प्रस्तुत किया गया। प्रस्तावित विवरण प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि प्रस्तावित परियोजना कोसी नदी से रेता, बजरी, बोल्डर आदि हेतु खनन/चुगान परियोजना है। परियोजना का खनन स्थल कोसी नदी रामनगर, जिला— नैनीताल में स्थित है। निगम का गठन वनों के बेहतर संरक्षण, पर्यवेक्षण और विकास के साथ-साथ राज्य के बेहतर वन उपज के बेहतर दोहन और इनसे जुड़े मामलों के लिए किया गया है। खनन परियोजना से होने वाले लाभ—हानि व सामाजिक आर्थिक प्रभाव





के बारे में उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया तथा कहा गया कि इस परियोजना से स्थानीय लोगो को रोजगार मिलेगा तथा प्रस्तावित खनन परियोजना में समाहित पर्यावरणीय पहलुओं का मूल्यांकन किया गया है। परियोजना स्थल तथा परिक्षेत्र में परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण, भूगर्भीय जल मृदा तथा ध्वनि स्तर का अनुश्रवण कर नमूने एकत्र किये गये हैं। विश्लेषण आख्यायें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप है। खनन व्यवसाय के फलस्वरूप आसपास के क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि, सामान्य जन उपयोगी वस्तुओं की उपलब्धता, शैक्षिक, स्वास्थ्य एवं रहन सहन के स्तर में समानुपातिक परिवर्तन होगा। खनन की गहराई खनन योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार रखी जायेगी, यह भूजल को स्पर्श नहीं करेगी। मजदूरों को मूलभूत सुविधायें जैसे खाना पकाने के लिए जलौनी लकड़ी, मजदूरों के बच्चों के लिए पुस्तकें और मुफ्त स्कूल की सुविधा तथा खुले में शौच से बचने के लिए मोबाईल शौचालय की व्यवस्था का प्राविधान खनन परियोजना में प्रस्तावित किया गया है। कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी सी0ई0आर0 के अन्तर्गत स्कूलों की मरम्मत, मेडिकल की सुविधा के लिए प्राथमिक उपचार की सुविधा, चिकित्सा शिविर प्रदूषण निगरानी, श्रमिकों को कंबल वितरण, श्रमिकों के बच्चों के लिए मुस्कान केन्द्र, पीने के पानी की सुविधा, शौचालय निर्माण आदि का प्राविधान परियोजना में किया गया है। स्थानीय आबादी को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। जन सुनवाई में उपस्थित में क्षेत्रीय प्रबन्धक(प0क्षे0) उत्तराखण्ड वन विकास निगम, रामनगर वन प्रभाग द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना के अन्तर्गत आगामी पाँच वर्षों हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक है, जिस हेतु लोक सुनवाई आवश्यक है।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त प्रस्तावित रेता, बजरी, बोल्टर के खनन/चुगान परियोजना के सम्बन्ध में उपस्थित समुदाय से सुझाव आपत्तियां एवं टीका टिप्पणी आमंत्रित की गई तथा अवगत कराया गया कि सुझाव आपत्तियां टीका टिप्पणी लिखित व मौखिक रूप से प्राप्त की जा सकती है। उपस्थिति जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत टीका टिप्पणी व सुझाव का विवरण निम्नवत है:-

1. श्री अमनजीत सिंह, काशीपुर, जनपद- उधम सिंह नगर :- श्री अमनजीत सिंह द्वारा जन सुनवाई में उपस्थित समस्त लोगों का स्वागत करते हुये कहा कि कोसी नदी समय पर नहीं खुलती है जिससे मजदूर नहीं मिल पाते है। इस परियोजना के अन्तर्गत खनन कार्य ससमय संचालित किया जाए। सड़क के डामरीकरण की आवश्यकता के सम्बन्ध में अवगत कराया गया और परियोजना प्रस्तावक से अपेक्षा की गयी प्रस्तावित परियोजना में स्थानीय लोगों को योग्यतानुसार रोजगार दिया जाए। तदक्रम में क्षेत्रीय प्रबंधक(प0क्षे0), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, रामनगर द्वारा कहा गया कि आपका सुझाव बहुत अच्छा है नदी में खनन कार्य किये जाने हेतु सत्र 01 अक्टूबर से 31 मई तक ही प्रस्तावित है। श्री सिंह द्वारा खनन परियोजना का समर्थन किया गया।
2. श्री अनवर मल्लिक, रामनगर, जनपद-नैनीताल:-श्री अनवर मलिक द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित समस्त लोगों का स्वागत करते हुये अवगत कराया कि इस सत्र मे नदी 245 दिनों मे सिर्फ 100 दिन ही खनन कार्य हो पाया है। आगामी खनन सत्र में खनन कार्य

श्री


श्री

अक्टूबर माह से प्रारम्भ किया जाये जिससे परिवहन, रॉयल्टी, कर आदि का अतिरिक्त बोझ लोगों पर न पड़े। प्रस्तावित खनन क्षेत्र में मजदूरों की रहने की व्यवस्था की जाए तथा मोबाईल टॉयलेट, पेयजल आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

3. मोहम्मद सलीम, रामनगर, जनपद-नैनीताल:-श्री सलीम द्वारा अवगत किया गया कि वह बैलगाडी चालक है तथा उनका सुझाव ये है कि सभी गाड़ियों की रॉयल्टी काटी जानी चाहिये तथा मजदूरों की रहने की व्यवस्था नदी में की जानी चाहिये। निगम द्वारा छिडकाव और पेयजल की व्यवस्था की जानी चाहिए।
4. श्री मुकुट भारद्वाज, रामनगर, जनपद-नैनीताल:-श्री मुकुट भारद्वाज द्वारा अवगत किया गया की रोड टेक्स कटता है किन्तु कभी रोड़ नहीं बनती है। वन निगम का पोर्टल खराब होता है जिससे समय की बरबादी होती है। वन निगम द्वारा रोड़ का निर्माण नहीं किया जाता तथा नदी में खनन सुचारु रूप से चले तो 245 दिन भी कम है। सड़क आदि की समस्याओं को अवगत कराते हुये समस्याओं के समाधान की अपेक्षा की गयी।

जिसके सम्बन्ध में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार श्री हिमांशु गोयल द्वारा अवगत किया गया कि उक्त परियोजना (क्षेत्रफल 181.00 हेक्टेयर) में 36,54,000 टन प्रति वर्ष खनन की अनुमति राज्य सरकार द्वारा 1.5 मीटर खुदाई ओपन कास्ट मेनुअल विधि से ज्यादा नहीं किया जा सकता है। तदक्रम में सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा उपस्थित जन प्रतिनिधि तथा अन्य लोगों से वर्तमान में प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में सुझाव आपत्तियाँ, टीका टिप्पणी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

5. श्री गुरपीर सिंह बाजवा, रामनगर, जनपद-नैनीताल:- श्री बाजवा द्वारा अवगत किया गया कि नदी समय पर नहीं खुलती है। सिर्फ 57 दिन ही खनन कार्य किये जा सका है। मजदूर छोई से आते हैं जिससे समय का नुकसान होता है, सड़क की डामरीकरण की आवश्यकता के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। इस सत्र में नदी 01 माह पूर्व बन्द की गयी जिससे काफी नुकसान हुआ है।
6. श्री बह्मदेव झा रामनगर, जनपद-नैनीताल :-श्री बह्मदेव झा द्वारा सभी अधिकारीगणों व उपस्थित लोगों का स्वागत व अभिनन्दन किया गया तथा उनके द्वारा अवगत किया गया कि वह परिवहनकर्ता है, खनन सत्र हेतु अक्टूबर से मई तक टैक्स लिया जाता है जबकि नदी सिर्फ 60 दिन ही खनन कार्य किये जा सका है। प्रस्तावित परियोजना में रॉयल्टी आदि के अनुसार ही टैक्स लिया जाना व खनन अवधि बढ़ाये जाने तथा ट्रान्सपोर्टर्स की समस्याओं का समाधान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।
7. श्री दीपक चौधरी, रामनगर, जनपद-नैनीताल :-श्री चौधरी द्वारा कहा गया कि परियोजना से सभी को लाभ हो। खनन कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व सड़को का निर्माण किया जाये तथा नियमित छिडकाव हो। सड़को पर गड़ढे होने के कारण वाहनों की दुर्दसा होती है। निगम द्वारा वर्तमान में नियमानुसार खनन कार्य करवाया जाये। उप जिलाधिकारी, महोदय का स्वागत करते हुये स्थानीय समस्याओं को अवगत कराते हुये प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में सहमति व्यक्त की गयी है। इसी क्रम में क्षेत्रीय प्रबन्धक(प0क्ष0), उ0 वन






विकास निगम, रामनगर द्वारा सभी अधिकारियों तथा उपस्थित लोगों का स्वागत व अभिनन्दन किया गया तथा प्रस्तावित कोसी खनन परियोजना के सम्बन्ध में प्राप्त समस्याओं, सुझावों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया और कहा गया की प्रस्तावित परियोजना में खनन कार्य खनन योजना के अनुरूप ही किया जायेगा तथा आपकी समस्याओं व सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए आपके सहयोग सहमति के आधार पर खनन कार्य किया जायेगा।

तदपश्चात् उप जिलाधिकारी, रामनगर द्वारा कहा गया कि इस परियोजना से खनन कार्य को गति मिलेगी तथा क्षेत्र का विकास होगा। आस-पास के लोगों को रोजगार प्राप्त होगा तथा रामनगर क्षेत्र में सुसंगत तरह से खनन कार्य किया जायेगा। इस परियोजना को अग्रिम 05 वर्षों हेतु नवीनीकरण किया जाना है। इसकी समय सीमा बढ़ाये जाना प्रस्तावित है। आपके सुझाव व टिप्पणियों के समाधान हेतु संयुक्त बैठक कर आपकी समस्याओं का आगामी खनन सत्र से पूर्व निस्तारण कर लिया जायेगा। उपजिलाधिकारी द्वारा पुनः लोगों से सुझाव व मौखिक/लिखित में देने को कहा गया तथा अन्य टीका टिप्पणी सुझाव प्राप्त न होने पर उपस्थित जन समुदाय का धन्यवाद व्यक्त करते हुये लोक सुनवाई का समापन किया गया।

उक्त जन सुनवाई की विडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जन समुदाय की उपस्थिति, उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज की गयी है।


(हरीश चन्द्र जोशी)
सहायक जिलाधिकारी
उपनिर्देशक बोर्ड हल्द्वानी।


(गौरव चटवाल)
उप जिलाधिकारी
रामनगर।